उत्तर प्रदेश सरकार
राज्य योजना आयोग–2
संख्या 9/7/35–आ–2/99–55
लखनऊ : दिनांक 14 मार्च, 2008.

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 1999) की धारा 19 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2008

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2008 कही जायेगी ।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

सामान्य संशोधन — 2– उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति नियमावली, 2008, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में हिन्दी पाठ में शब्द मतदान अधिकारी, जहां कहीं आये हो, के स्थान पर " निर्वाचन अधिकारी " रख दिये जायेगें।

नियम–3 का संशोधन — 3. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–3 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा :–

स्तम्भ–एक विद्यमान नियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3–(1) जिले के लिए समिति के सदस्यों की संख्या उतनी होगी, जितनी जिले के लिए अनुसूची में विहित की गयी है।	3–(1) जिले के लिए समिति के सदस्यों की संख्या उतनी होगी, जितनी जिले के लिए अनुसूची में विहित की गयी है।
(2) राज्य सरकार अनुसूची को विज्ञप्ति के माध्यम संशोधित कर सकती है।	(2) राज्य सरकार अनुसूची को विज्ञप्ति के माध्यम से संशोधित कर सकती है।
(3) उप नियम (1) के अधीन निर्धारित सदस्यों की संख्या के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग गजट में अधिसूचना द्वारा जिले के अन्तर्गत जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से तथा जिले की नगरपालिकाओं में से जिले में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों की	(3) उप नियम (1) के अधीन निर्धारित सदस्यों की संख्या के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग गजट में अधिसूचना द्वारा जिले के अन्तर्गत जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से तथा जिले की नगरपालिकाओं में से जिले में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के बीच में

जनसंख्या के बीच में अनुपात के समानुपात में पृथक–पृथक निर्धारण किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह होगा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिये सदस्यों की संख्या का निर्धारण पूर्णांक में किया जायेगा , यदि दशमलव के आगे पॉच अथवा उससे अधिक का अंक आता है तो उसे अग्रगामी पूर्णांक के रूप में और दशमलव के आगे पॉच से कम अंको को पश्चगामी पूर्णांक में आंकलित किया जायेगा।

अनुपात के समानुपात में पृथक–पृथक निर्धारण किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह होगा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिये सदस्यों की संख्या का निर्धारण पूर्णांक में किया जायेगा , यदि दशमलव के आगे पॉच अथवा उससे अधिक का अंक आता है तो उसे अग्रगामी पूर्णांक के रूप में और दशमलव के आगे पॉच से कम अंको को पश्चगामी पूर्णांक में आंकलित किया जायेगा।

(4) जहॉ जिले की नगर पालिकाओं से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या नगर पालिकाओं की संख्या के बराबर अथवा उससे अधिक है, वहॉ कम से कम एक सदस्य जिले की प्रत्येक नगर पालिका से निर्वाचित होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ जिले की नगर पालिकाओं से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या नगर पालिकाओं की संख्या से कम है,

(क) वहां किसी नगर पालिका से एक से अधिक सदस्य निर्वाचित नहीं होगा।

(ख) किसी नगर पालिका में जिस सदस्य को अधिकतम संख्या में मत प्राप्त होगा, उसे उस नगर पालिका से सदस्य के रूप में घोषित किया जायेगा। उसके बाद किसी अन्य व्यक्ति के ऐसे सदस्य के मत से अधिक मत पाने के बावजूद किसी अन्य सदस्य को उस नगर पालिका से निर्वाचित नहीं किया जायेगा।

नियम–6 का संशोधन

4. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–एक विद्यमान नियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
6–(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के तथा महिलाओं के जिला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से, समिति के सदस्यों की संख्या के आधार पर, निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण, जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में इन वर्गों के विद्यमान प्रतिशत के आधार पर निर्वाचन हेतु निर्धारित किया जायेगा।	6–(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के तथा महिलाओं के जिला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से, समिति के सदस्यों की संख्या के आधार पर, निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण, जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में इन वर्गों के विद्यमान प्रतिशत के आधार पर निर्वाचन हेतु निर्धारित किया जायेगा।
(2) जहां जिले की नगर पालिकाओं से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या नगर पालिकाओं की संख्या के बराबर अथवा अधिक है, वहां कम से कम एक सदस्य जिले की प्रत्येक नगर पालिका से निर्वाचित होगा, प्रतिबन्ध यह होगा कि जहां जिले की नगर पालिकाओं से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या नगर पालिकाओं की संख्या से कम है, वहां जिले की किसी नगर पालिका से एक से अधिक सदस्य निर्वाचित नहीं होगा।	

नियम–8 का संशोधन

5. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–एक विद्यमान नियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8–(1) नियम–7 के अधीन अधिसूचना जारी होने के पूर्व, मतदान अधिकारी ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करायेगा जो जिला	8–(1) नियम–7 के अधीन अधिसूचना जारी होने के पूर्व, निर्वाचन अधिकारी ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करायेगा जो जिला

पंचायत और नगर पालिकाओं के तत्समय सदस्य हों जिन्हें मतदाता कहा जायेगा, उस सूची की एक प्रमाणित प्रति अपने कार्यालय तथा अन्य सहजदृश्य स्थानों पर जिन्हें वह उचित समझे, चिपकवाकर उसकी सार्वजनिक सूचना देगा।

(2) मतदान अधिकारी मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व किसी भी समय सूची में ऐसी शुद्धियॉ कर सकता है जो सदस्यता में कोई परिवर्तन होने या सूची में कोई त्रुटि मालूम होने के कारण आवश्यक हो जायें, वह किसी नाम के सम्मिलित किये जाने के सम्बंध में किसी व्यक्ति द्वारा किसी दावा या आपत्ति पर विचार करने पर मालूम हुई या अन्य किसी प्रकार से ज्ञात हुई हों;

प्रतिबन्ध यह है कि सूची में सम्मिलित किसी भी व्यक्ति का नाम उसमें से तब तक न निकाला जायेगा जबतक कि नाम निकाले जाने के प्रस्ताव की पूर्व सूचना उस व्यक्ति को न दे दी गयी हो और उसे नाम निकाले जाने के प्रस्ताव के विरूद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो।

पंचायत और नगर पालिकाओं के तत्समय सदस्य हों जिन्हें मतदाता कहा जायेगा, उस सूची की एक प्रमाणित प्रति अपने कार्यालय तथा अन्य सहजदृश्य स्थानों पर जिन्हें वह उचित समझे, चिपकवाकर उसकी सार्वजनिक सूचना देगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व किसी भी समय सूची में ऐसी शुद्धियॉ कर सकता है जो सदस्यता में कोई परिवर्तन होने या सूची में कोई त्रुटि मालूम होने के कारण आवश्यक हो जायें, वह किसी नाम के सम्मिलित किये जाने के सम्बंध में किसी व्यक्ति द्वारा किसी दावा या आपत्ति पर विचार करने पर मालूम हुई या अन्य किसी प्रकार से ज्ञात हुई हों;

प्रतिबन्ध यह है कि सूची में सम्मिलित किसी भी व्यक्ति का नाम उसमें से तब तक न निकाला जायेगा जबतक कि नाम निकाले जाने के प्रस्ताव की पूर्व सूचना उस व्यक्ति को न दे दी गयी हो और उसे नाम निकाले जाने के प्रस्ताव के विरूद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो।

(3) जिला पंचायत तथा जिला में स्थित नगर पालिकाओं के लिए अलग–अलग मतदाता सूची तैयार की जायेगी। नगर पालिकाओं के मामले में एक संयुक्त मतदाता सूची तैयार की जायेगी, जिसमें ऐसी नगर पालिकाओं के तत्समय के सदस्य सम्मिलित होगें।

नियम–14 का संशोधन

6. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–14 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–एक विद्यमान नियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
14– (1) यदि वैध उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर है तो मतदान अधिकारी ऐसे उम्मीदवारों को विधिवत निर्वाचित घोषित करेगा और ऐसी घोषणा की एक प्रति अपने नोटिस बोर्ड पर चिपकायेगा।	14– (1) यदि वैध उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर है तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे उम्मीदवारों को विधिवत निर्वाचित घोषित करेगा और ऐसी घोषणा की एक प्रति अपने नोटिस बोर्ड पर चिपकायेगा।
(2) यदि जिला पंचायत अथवा जिले की नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या चुने जाने वाले सदस्यों के बराबर अथवा कम हो तो जिला पंचायत अथवा जिले की नगर पालिकाओं, जैसी भी स्थिति हो, के सभी सदस्यों को मतदान अधिकारी विधिवत सदस्य निर्वाचित घोषित करेगा।	(2) यदि जिला पंचायत अथवा जिले की नगर पालिकाओं, जैसी भी स्थिति हो, के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर अथवा उससे कम हो तो जिला पंचायत अथवा जिले की नगर पालिकाओं, जैसी भी स्थिति हो, के सभी सदस्यों को निर्वाचन अधिकारी द्वारा सदस्य के रूप में घोषित किया जायेगा।
	(3) यदि जिला पंचायत अथवा जिले की नगर पालिकाओं, जैसी भी स्थिति हो, के निर्वाचित सदस्यों की संख्या आरक्षण के विरूद्ध निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर या उससे कम हो तो जिला पंचायत अथवा जिले की नगर पालिकाओं, जैसी भी स्थिति हो, के समस्त निर्वाचित सदस्य, निर्वाचन अधिकारी द्वारा सदस्य के रूप में घोषित किये जायेगें।

नियम–20 का संशोधन

7. उक्त नियमावली में नियम–20 में, हिन्दी पाठ में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–एक विद्यमान नियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) मतदान अधिकारी नियम–7 के खण्ड (स) के अधीन निर्धारित समय पर मतदान स्थल को बन्द कर देगा और उसके बाद वहां किसी मतदाता को प्रवेश न करने देगा:	(2) निर्वाचन अधिकारी नियम–7 के खण्ड (ग) के अधीन निर्धारित समय पर मतदान स्थल को बन्द कर देगा और उसके बाद वहां किसी मतदाता को प्रवेश न करने देगा:
प्रतिबन्ध यह है कि सभी ऐसे मतदाताओं को जो उस स्थल के भीतर, उसे इस प्रकार बंद किये जाने के पूर्व, उपस्थित हों, अपना मत अभिलिखित करने का अधिकार होगा।	प्रतिबन्ध यह है कि सभी ऐसे मतदाताओं को जो उस स्थल के भीतर, उसे इस प्रकार बंद किये जाने के पूर्व, उपस्थित हों, अपना मत अभिलिखित करने का अधिकार होगा।

नियम–29 का संशोधन

8. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–29 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–एक विद्यमान नियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(29) जिला पंचायत अथवा जिले की नगर पालिकाओं, जैसी भी स्थिति हो, के सदस्यों के निर्वाचन के 6 सप्ताह के भीतर सदस्यों का चुनाव कार्य पूरा हो जायेगा:	(29) जिला पंचायत अथवा जिले की नगर पालिकाओं, जैसी भी स्थिति हो, के सदस्यों के निर्वाचन के 6 सप्ताह के भीतर सदस्यों का चुनाव कार्य पूरा हो जायेगा:
प्रतिबन्ध यह है कि इस नियमावली के लागू होने के 8 सप्ताह के अन्दर सदस्यों के प्रथम चुनाव की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।	प्रतिबन्ध यह है कि इस नियमावली के लागू होने के 12 सप्ताह के अन्दर सदस्यों के प्रथम चुनाव की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।

आज्ञा से,

वी.वेंकटाचलम्
प्रमुख सचिव